:: कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::

!! परिपत्र !!

क्रमाँक– 17 /कोविड–19/2022 गुना, दिनाँक– 09/01/2022

जिला गुना की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कोविड–19 के एक्टिव केसेस की संख्या में हुई बढोत्तरी को दृष्टिगत् रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के परिपत्र क्रमाँक ए/136 दिनाँक 07.01.2022 के अनुक्रम में कोविड–19 (डेल्टा वैरिएंट एवं ओमीक्रॉन) के पुनः संक्रमण को देखते हुए न्यायालय परिसरों में भीड़ की रोकथाम के लिए जिला न्यायालय गुना एवं सिविल न्यायालय आरोन/राधौगढ़/चांचौडा में दिनाँक 10.01.2022 से आगामी आदेश पर्यन्त तक सभी न्यायालयों में सीमित सुनवाई की जाना उचित पाते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

जिला न्यायालय गुना व सिविल न्यायालय आरोन/राधौगढ़/चांचौड़ा स्थित सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में **प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक निम्नलिखित प्रकृति के प्रकरण वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई हेतु लिये जावेंगेः–**

01	अपील (सिविल एवं क्रिमिनल)
02	**पाँच वर्ष** या उससे अधिक अवधि के पुराने लंबित प्रकरण।
03	मोटर दुर्घटना दावा मामले जो अनावेदक साक्ष्य एवं अंतिम तर्क की अवस्था पर हों।
04	ऐसे मामले जिनमें राजीनामा प्रस्तुत किया गया हो अथवा किया जा रहा हो।
05	ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हो।
06	दत्तक ग्रहण **(Adoption Cases)** से संबंधित मामले।
07	ऐसे सभी सिविल प्रकरण (आर्बीट्रेशन प्रकरण सहित) जो अंतिम तर्क एवं प्रतिवादी/अनावेदक साक्ष्य एवं इसी अवस्था पर अंतरिम आवेदन विचार हेतु नियत है।
08	ऐसे सभी सत्र/विशेष प्रकरण/आपराधिक प्रकरण जो कि अभियुक्त परीक्षण, बचाव साक्ष्य एवं अंतिम तर्क हेतु नियत हो, जिनमें अभियोजन साक्ष्य समाप्त होंने के पश्चात् अंतरिम आवेदन के निराकरण हेतु प्रकरण भी शामिल हैं।
09	विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले।
10	जमानत आवेदन, सुपुर्दगीनामा, धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन, रिमाण्ड, अति आवश्यक अंतिम प्रतिवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र एवं अन्य ऐसे अत्यावश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जिनमें न्यायालय यह पाता है कि प्रकरण में प्रकृति अनुसार तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
11	दुर्घटना दावा प्रकरणों में जमा क्लेम राशि से संबंधित मामले पूर्ववत् सुनवाई हेतु लिये जावेंगें।

उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त

1. अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में भी वर्चुअल सुनवाई की जा सकेगी।
2. उपस्थिति के प्रकरणों को छोड़कर समरी प्रकरण भी सुनवाई हेतु लिये जावेंगें।
3. शेष प्रकरणों में सामान्य तिथियॉ नियत की जावेंगी।
4. उपरोक्त प्रकरणों में पक्षकारों की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता, किसी आवेदन के बिना स्वीकृत की जा सकेगी।

सामान्य निर्देश

1. सभी न्यायिक अधिकारीगण व न्यायिक कर्मचारीगण कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक न्यायालय/अनुभागों में उपस्थित रहेंगे।

2. कोविड के प्रभाव को देखते हुए न्यायिक अधिकारीगण वर्चुअल/हायब्रिड सुनवाई करेंगें।

3. प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरणों की सूची (विशेष कॉज लिस्ट) पूर्व में जारी प्रारूप अनुसार पृथक से तेयार करवाकर न्यायालय के सूचना पटल में एक दिवस पूर्व चस्पा करेंगे।

4. प्रत्येक न्यायालय की दैनिक विशेष कॉज–लिस्ट में उल्लेखित प्रकरणों के अतिरिक्त उन तिथियों में नियत अन्य प्रकरणों में पूर्व की भांति सामान्य तिथियां नियत की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी। दैनिक विशेष कॉज–लिस्ट में उल्लेखित प्रकरणों में आगामी तिथियों संबंधित न्यायालय के द्वारा ही निर्धारित की जावेगी।

5. प्रकरण की आदेश पत्रिका में पक्षकारों, साक्षियों तथा अधिवक्तागण की उपस्थिति रिकॉर्ड की जावेगी किंतु कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से उनके हस्ताक्षर आदेश पत्रिका पर तथा साक्ष्य पत्रिका पर हस्ताक्षर अन्य आदेश होने तक अंकित नहीं कराए जाऐंगें, किंतु विधि के अनुसार हस्ताक्षर कराए जाने की आवश्यकता होने की स्थिति में हस्ताक्षर अंकित कराए जाएगें।

6. सूचना एवं सुविधा की दृष्टि से न्यायालयों में लगे डिस्प्ले बोर्ड क्रियाशील रहेगें। इस संबंध में श्री योगेश कुमार राठौर, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

7. सभी न्यायिक अधिकारी समंस की सर्विस के सामान्य मोड के साथ–साथ **Software CIS NC 3.2** की सुविधा का उपयोग भी इस हेतु कर सकेंगें।

8. कोरानो संक्रमण से बचाव हेतु जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय पर सभी सुरक्षात्मक उपाय पूर्व की भांति अपनाए जाते रहेगें।

9. जिला/नायब नाजिर गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, टॉयलेट, सार्वजनिक उपयोग के स्थान आदि की सफाई तथा समय–समय पर उसका सेनेटाईजेशन कराया जाना तथा न्यायालय परिसर में लगे सभी बॉश बेसिन पर सेनेटाईजर रखे जाने का कार्य सुनिश्चित करें।

10. यदि किसी न्यायिक अधिकारी, अभिभाषक, कर्मचारी अथवा पक्षकार को बुखार अथवा फ्लू जैसे लक्षण हैं अथवा वह क्वारेंटाईन/ आईसोलेटेड है तो उसे न्यायालय भवन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि किसी अभिभाषक को बुखार अथवा फ्लू आदि हैं, तो वह तुरंत इस संबंध में अपने अधिवक्ता संघ तथा प्रधान जिला न्यायाधीश को सूचित करेंगें। अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ यह सुनिश्चित करेंगें कि कोई भी अभिभाषक फेस मास्क अथवा फेस कवर के बिना न्यायालय में उपस्थित नहीं होगें। साथ ही न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में सामाजिक दूरी बनाई रखी जावे एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावें। अभिभाषकगण न्यायिक कार्य हेतु अपनी स्वयं की फाईल लेकर न्यायालय में उपस्थित होगें।

11. सामाजिक दूरी के मानक को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के हॉल की कुर्सियों एवं बेंचों को अरेंज किया जायेगा। न्यायालय तथा कार्यालय में भी स्टॉफ के बैठने की व्यवस्था करते समय सामाजिक दूरी के मानक को ध्यान में रखा जायेगा।

12. किसी भी स्थिति में न्यायालय के हॉल या बरामदा/सार्वजनिक रास्ता/कॉरिडोर या न्यायालय परिसर में भीड़ एकत्रित नहीं होगी। किसी भी प्रकार की सभा/एकत्रीकरण पूर्णतः निषेधित किया जाता है। नजारत के स्टॉफ एवं प्रत्येक न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि वह देखे की उपरोक्त निर्देश का पालन हो रहा है।

13. कार्यालयीन विविध आदेश क्रमाँक 05/कोविड–19/2020 गुना,दिनाँकः–17/01/2021 द्वारा गठित समिति पूर्व के भांति उक्त दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगी तथा उनकी निगरानी करेंगी।

14. न्यायालय परिसर में उपस्थित पक्षकारगण, अधिवक्तागण तथा कर्मचारगण के लिये पान, तम्बाकू, गुटखा, धुम्रपान का प्रयोग करना वर्जित है, निर्देशों की अवहेलना की जाना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

15. उपरोक्त दिशा–निर्देशों में कोविड संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन एवं फेरबदल किया जा सकेगा तथा अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किये जा सकेगें।

16. बुखार/फ्लू या ऐसे लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी न्यायिक कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण हों, तो वह तुरंत संबंधित पीठासीन अधिकारी कार्यालय को सूचित करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक तापमान निर्धारित से अधिक पाया जाता है, तो उसे न्यायालय भवन में प्रवेश नही दिया जायेगा।

17. न्यायालय परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, जिसका किसी न्यायालयीन कार्य से संबंध नही है। ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सभी पक्ष उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगें।

(रवीन्द्र कुमार भद्रसेन)
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमाँक :-17/A कोविड–19/22 गुना, दिनाँक :- 09.01.2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय के समक्ष रखे जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना।
4. समस्त न्यायाधीशगण गुना/आरोन/राघोगढ़/चांचौड़ा।
5. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग/गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना।
7. कलेक्टर, जिला गुना।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना।
9. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ गुना/आरोन/राघौगढ़/ चांचौडा।
10. लोक अभियोजक, जिला गुना।
11. जिला अभियोजन अधिकारी, गुना।
12. अधीक्षक, जिला जेल गुना,

    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग गुना की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त सबंधितों को उनकी ई–मेल आई.डी. के माध्यम से सूचित करें एवं जिला न्यायालय गुना की वेबसाईड पर अपलोड करें। साथ ही सुनवाई से संबंधित मामलों के आवेदन/दस्तावेज के ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होने पर उन्हें संबंधित न्यायालय को तत्काल प्रेषित किया जावे।

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)